न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नंबरः– 144/2022 प्रार्थनापत्र

अनवान

1. फुलचन्द पुत्र सोहन लाल ओड निवासी रघुनाथपुरा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. भोपु लाल पुत्र देवीलाल ओड निवासी रघुनाथपुरा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. संतोष पुत्र प्यारा दरोगा निवासी चिताम्बा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. देउ देवी पत्नि देवीनाथ निवासी चिताम्बा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. देबी सिह पुत्र बालु सिह निवासी चिताम्बा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. देवा पुत्र मिश्रीलाल ओड निवासी रघुनाथपुरा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. लाखाराम पुत्र भागु गुर्जर निवासी सुलिसा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपस्थित

1. श्री मुकेश सिह — अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार — अधिवक्ता विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि सरहद चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 3668/331 कुल किता 1 रकबा 0.2782 है0 भूमि स्थित होकर प्रार्थी के नाम दर्ज रेकाड़ है। प्रार्थी को उक्त वर्णित आराजियात में आने जाने का एक मात्र रास्ता जो कि विपक्षीगण की आराजियात खाता सं0 109 के आराजी नं0 267/1 रकबा 0.0506 है0 व बिलानाम सरकार खाता सं0 1 के आ0नं0 3723/3321 में होकर प्रार्थीगण कृषि कार्य हेतु आते जाते हैं जिसमें प्रार्थी अपनी बेलगाड़ी, संज ट्रैक्टर इत्यादि अपने पूर्वजों के समय से लाता लेजाता है जो गाड़ी गडार रास्ता बना हुआ है । उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में आने–जाने हेतु और कोई रास्ता नहीं है। विपक्षीगण की नियत में फितुर आने से आये दिन रास्ते में अवरोध पैदा करते है। उक्त रास्ता राजस्व रेकाड़ नक्शें में दर्ज नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के के आराजी नं0 3668/331 कुल किता 1 रकबा 0.2782 है0 भूमि में आने–जाने हेतु विपक्षीगण की आराजियात खाता सं0 109 के आराजी नं0 267/1 रकबा 0.0506 है0 व बिलानाम सरकार खाता सं0 1 के आ0नं0 3723/3321 में होकर में नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे तथा कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकाड़ (नक्शें) में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारत मुआवजे की राशि के लिए प्रार्थी सदैव तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए गए। नियत दिनांक 13.12.2022 को विपक्षी संख्या 01 से 07 उपस्थित। भू0अ0निरीक्षक चिताम्बा से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल फाईल किया गया। विपक्षी संख्या 01 से 07 उपस्थित होकर मय जवाब सहमति का पेश किया। प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नही की। प्रकरण में विपक्षी ने जबाव पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करे..

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 से 07 ने मौका रिपोर्ट अनुसार जितनी भूमि प्रार्थी रास्ते के रूप में प्राप्त करता है उतने ही रकबा की वर्तमान मे प्रचलित डी.एल.सी. दर की दो गुना राशी प्रार्थी विपक्षी संख्या 01 से 07 को देता है तो विपक्षी संख्या 01 से 07 उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर सहमत है। अतः प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 केसहमत होने से उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरहद चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 3668/331 कुल किता 1 रकबा 0.2782 है0 भूमि में आने–जाने हेतु खाता सं0 109 के आराजी नं0 267/1 रकबा 0.0506 है0 व बिलानाम सरकार खाता सं0 1 के आ0नं0 3723/3331 में से होकर आने–जाने का एकमात्र रास्ता होने से मौका रिपोर्ट अनुसार 20 फीट चौड़ाई का रास्ता राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने एवं उसी अनुसार राजस्व नक्शें में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार करेड़ा के बिंलानाम आ0नं0 3723/3331 रकबा 0.3162 हैक्टर में से 0.0710 हैक्टर कुल किता 01 रकबा 0.0710 हैक्टर भूमि एवं विपक्षीगण की आराजियात खाता सं0 109 के आराजी नं0 267/1 रकबा 0.0506 है0 की वर्तमान मे प्रचलित डी.एल.सी. दर की दो गुना राशी प्रार्थी से प्राप्त कर राजकोष मे जमा करा मौके पर उक्तानुसार चालू रास्ते का राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शें में, संलग्न नक्शे में प्रस्तावित तरमीम अनुसार अंकन करावें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा